कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
ओबरा ताप विद्युत परियोजना
उ0प्र0रा0वि0उत्पादन नि0लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
पो0 आ0 : ओबरा--231219
जिला : सोनभद्र (उ0 प्र0)

UPRVUN

OFFICE OF CHIEF GENERAL MANAGER
OBRA THERMAL POWER PROJECT
U. P. R. VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(U.P. Govt. Undertaking)
P.O. : OBRA – 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

CIN-U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 1935 / मु0म0प्र0 / डब्लू–1 / 83 बी–10 (ऐश डाईक) दिनांक: 21-06-,2024

विषयः ग्राम–गुरूर तहसील ओबरा, जनपद सोनभद्र में ओबरा 'सी' तापीय परियोजना हेतु राख बॉध के निर्माण में प्रभावित होने वाले वन भूमि हस्तान्तारण का प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0सरकार की महत्वाकांक्षी 2X660 मे0वा0, ओबरा 'सी' तापीय परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान उत्सर्जित राख का निस्तारण हेतु राख बॉध के निर्माण के लिये ग्राम चंचलिया पनारी; टोला–गुरूर में निम्नलिखित प्रकार की कुल 112.919 हे0 भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है:–

(क) सक्रमणीय भूमि– 72.923 हे0
(ख) ग्राम समाज की भूमि-- 0.428 हे0
(ग) वन भूमि--39.568 हे0

(क) सक्रमणीय भूमि-- 72.923 हे0:– सकमणीय भूमि के अर्जन से सम्बन्धित धारा–11 की अधिसूचना ऊर्जा अनुभाग--3, अधिसूचना संख्याः 1511/24–03–2023–1294/2020 दिनांकः 12.09.2023 के प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है एवं धारा--19 के गजट प्रकाशन की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (रिं), मिर्जापुर के माध्यम से किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(ख) ग्राम समाज की भूमि– 0.428 हे0:– ग्राम समाज की भूमि का हस्तान्तरण परियोजना के पक्ष में किये जाने की कार्यवाही जिलाप्रशासन के माध्यम से किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(ग) वन भूमि–39.568 हे0:– प्रस्तावित राख बॉध के निर्माण हेतु अधिग्रहित की जाने वाली 39.568 हे0 वन भूमि हेतु परियोजना द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव संख्याः एफ0पी0/यू0पी0/ट/152509/2022 आवेदित किया जा चुका है साथ ही साथ गैर वानिकीकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य भूमि सोनभद्र के ग्राम मुरैला, चेरुई, बधसंदवा, गुरूड़ा एवं सरडीहा में वन विभाग को दिये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। उक्त आवेदन के क्रम आपके कार्यालय द्वारा कतिपय कमियों का निराकरण कर आवश्यक अभिलेख अपलोड किये जाने हेतु सूचित किया गया जिसके क्रम में परियोजना द्वारा समस्त कमियों का निराकरण कराते हुये सम्बन्धित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये एवं अधिशासी अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड--चतुर्थ के कार्यालय पत्रांकः 08/ओ0सीसी0सी0 डी0--चतुर्थ /एफ--3 दिनांकः 06.04.2024 के माध्यम से सम्पूर्ण प्रस्ताव मूलरूप में आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया। तदोपरान्त स्वकार्यालयी पत्रांक 2472/ओबरा/33 दिनांकः 06.04.2024 के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव को मूलरूप में निम्नलिखित आपत्ति करते हुये वापस कर दिया गया:–

" ग्राम चंचलिया पनारी, टोला–गुरूर में प्रस्तावित राख बॉध के निर्माण के लिये 39.568 हे0 वन भूमि एवं 72.923 हे0 सक्रमणीय भूमि में से 64.576 हे0 भूमि धारा–4 में विज्ञापित है तथा वन संरक्षण अधिनियम--1980 के अधीन आच्छादित है। अतः कुल 39.568+64.576=104.144 हे0 वन भूमि (धारा–4 में विज्ञापित भूमि को सम्मिलित करते हुये) हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति लेने हेतु परिवेश पोर्टल पर आन लाईन आवेदन करने हेतु सूचित किया गया है।"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जो भूमि धारा–4 में विज्ञापित है उस पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता थी परन्तु दिनांकः 04.08.2023 को वन संरक्षण अधिनियम–1980 में हुये संशोधन के क्लाज़ 4 बी के अनुसार 12 दिसम्बर 1996 को अथवा उससे पूर्व वन विभाग के खाते से बाहर/गैर वानिकी उपयोग हेतु दी जा चुकी भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 लागू नही होगा (गजट की छायाप्रति संलग्न)। यहाँ यह भी संज्ञान में लाना है कि अधिग्रहण की जाने वाली सक्रमणीय भूमि 72.923 हे0 के धारा–4 में विज्ञापित 64.576 हे0 भूमि दिनांकः 12.12.1996 से पूर्व में ही वन विभाग के खाते से बाहर/गैरवानिकी उपयोग हेतु आदेश किया जा चुका है (सम्बन्धित आदेशों की छायाप्रति संलग्न) अर्थात 64.576 हे0 भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 लागू नही होगा।

CTPS

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक
ओबरा ताप विद्युत परियोजना
उ0प्र0रा0वि0उत्पादन नि0लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
पो0 आ0 : ओबरा–231219
जिला : सोनभद्र (उ0 प्र0)

UPRVUN

OFFICE OF CHIEF GENERAL MANAGER
OBRA THERMAL POWER PROJECT
U. P. R. VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(U.P. Govt. Undertaking)
P.O. : OBRA – 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

CIN-U40101UP1980SGC005065

संज्ञान में लाना है कि 2X660 मे0वा0, ओबरा 'सी' तापीय परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी इकाई संख्या: 01 उत्पादनरत हो चुकी है एवं इकाई संख्या: 02 से उत्पादन निकट भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है। दोनो इकाईयों से उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाली राख के निस्तारण हेतु राख बॉध का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि विद्युत उत्पादन निर्बाध रूप से हो सकें।

अत: अनुरोध है कि पूर्व में आनलाईन आवेदित 39.568 हे0 वन भूमि के अधिग्रहण हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना चाहें।

21/06/2024

(राधे मोहन)
मुख्य महाप्रबन्धक

21/6/2024

पत्रांक: /मु0म0प्र0/डब्लू–1/तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर। 231001
2. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र।
3. मुख्य अभियंता (जा0– नव0 परि0), उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 7 वाँ तल, शक्ति भवन (विस्तार), 14, अशोक मार्ग, लखनऊ (उ0प्र0) को इस आशय से प्रेषित कि मुख्यालय स्तर से अनुश्रवण करने का कष्ट करे।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद), "सी" ताप विद्युत गृह, ओबरा।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा"सी" जानपद निर्माण मण्डल–द्वितीय, ओबरा।
6. अधिशासी अभियन्ता, ओबरा"सी" जानपद निर्माण खण्ड–चतुर्थ, ओबरा।

21/06/2024

(राधे मोहन)
मुख्य महाप्रबन्धक

21/6/2024

संलग्नक
1. Copy of amendment
2. Inden for Judgement copies
3. Related Judgement copies from FSO. & ADJ office

29/06/24